This clearly shows the pathetic condition of the functioning of the AICTE. So, I request the hon. Minister to change the guidelines for sanctioning of engineering colleges. I also request for instituting an enquiry on the availability of quality of infrastructure, whether the qualified staff is available in engineering colleges and also the standard of education in the permitted colleges. Thank you.

Firing at army recruitment centre in Chandauli, Uttar Pradesh

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, धन्यवाद। मेरा विषय सेना में जवानों की जो भर्ती होती है, उसमें दलालों का वर्चस्व है, उसमें धांधली होती है, के संबंध में है। यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। दिनांक 19 जुलाई को चदौली जनपद, उत्तर प्रदेश में सेना में भर्ती हो रही थी। इस भर्ती का कार्यक्रम 13 जुलाई से चल रहा था और 20 जुलाई तक चलने वाला था। रक्षा विभाग की ओर भर्ती का काम सेना के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे थे। 17 जुलाई को भर्ती का जो काम हुआ, उसमें धांधली हुई, इसका आरोप वहां भर्ती होने के लिए जो युवक आए थे, वे लगा रहे थे। उस समय चन्दौली प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 19 जुलाई को चन्दौली और पूर्वांचल के आसपास के 15 जिलों, गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया आदि के 20 हजार नौजवान वहां भर्ती होने के लिए उपस्थित हो गए। यह भर्ती की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से प्रारंभ कर दी गई। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक दौड़ का एक कार्यक्रम था, जिसमे 4 राउंड लगाने होते थे। जो बच्चे 4 राउंड लगा लेते थे, उनको qualify कर दिया जाता था। जब आखिरी राउंड की दौड़ हो रही थी, तो सेना के अधिकारियों ने अपने चहेते बच्चों को, जिनको वे भर्ती करना चाहते थे, आखिरी राउंड में दौड़ाने का काम किया। इसी बात को लेकर वहां जो युवक भर्ती होने आए थे, वे आक्रोशित हो गए। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ में वहां firing हुई। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि वहां सेना के जो उच्च अधिकारी थे, वे कहते हैं कि हमने firing नहीं की है; जिला प्रशासन जिसका काम law and order maintain करना था, वह कह रहा है कि हमने वहां पर firing नहीं की है। चन्दौली से जो समाचार मिल रहे हैं, उसमें 4 लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। जिला प्रशासन कह रहा है कि वहां केवल एक आदमी मरा है। वस्तुस्थिति यह है कि उसमें कम-से-कम 4 लोगों की मौत हुई है और 1,000 लोग घायल हुए हैं। 7 घंटे तक पूरे चन्दौली जनपद का प्रशासन एकदम मूक दर्शक बना रहा और पूरा जनजीवन ठप रहा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए कि सेना की तरफ से गोली चलाई गई है या स्थानीय प्रशासन की तरफ से गोली चलाई गई है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सेना में जो भर्ती हो रही थी, उसमें युवकों द्वारा धांधली लगाने का जो आरोप है, वह सही है या गलत है?

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : सर, मैं अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश) : सर, मैं अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : सर, मैं अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): सर, मैं अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Kalraj Mishra to associate.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : सर, मैंने नोटिस दिया है।

श्री उपसभापति : आपने नोटिस दिया है, लेकिन विषय वही है, तो आप associate कर दीजिए।

श्री कलराज मिश्र : सर, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: ठीक है, आप एक मिनट में अपनी बात रख दीजिए।

श्री कलराज मिश्र : सर, मैंने नोटिस दिया है और मेरी नोटिस स्वीकार भी हुई है। चूंकि मेरी नोटिस स्वीकार हुई है, इसलिए मैं 3 मिनट बोलने का अधिकारी हूं।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गत कई वर्षों से जब भी सेना में भर्ती शुरू हुई, तो किसी-न-किसी कारणवश वहां हादसा हुआ है। चाहे फैजाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, वहां भी भर्ती के दौरान इसी प्रकार का किसी-न-किसी ढंग से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के कारण उपद्रव हुआ और हादसा हुआ। उसी तरीके से चन्दौली में 13 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच जो भर्ती अभियान प्रारंभ हुआ, उस भर्ती अभियान के अन्तर्गत 17 तारीख को युवकों को लगने लगा कि किसी-न-किसी प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसलिए लोगों ने अपनी बात कहनी चाही, लेकिन उस समय किसी ने सुना नहीं। जैसा हमारे श्रीमान् यादव जी ने बताया कि 19 तारीख को लगभग 15 जिलों के लोग आए हुए थे और काफी संख्या में लोग थे। वहां एक पॉलिटेक्निक विद्यालय है। वहां काफी लम्बी लाइन लग गई थी। जब यह दौड़ हो रही थी और चौथा राउंड प्रारंभ हुआ, तो उस समय सेना के कुछ लोगों के द्वारा, जैसा वहां जो लोग भर्ती होने के लिए गए हुए थे, वे लोग बताते हैं कि उसमें कुछ लोगों को लगा दिया गया, ताकि उनके चहेते चयनित किए जा सकें। जब अधिकारियों से लोगों ने अपनी बात कहनी चाही, तो अधिकारियों ने उनको (**समय की घंटी**) श्रीमान्, अभी तीन मिनट नहीं हुए हैं।

श्री उपसभापति : नहीं, आपको तीन मिनट नहीं दिए गए हैं।

श्री कलराज मिश्र : श्रीमन्, अधिकारियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। परिणाम यह हुआ कि भगदड़ मची, लोगों ने पथराव करना शुरू किया और हवाई फायरिंग नहीं हुई, बाकायदा गोली चलाई गई। उसमें 4 लोगों के मौत की अपुष्ट सूचना है, लेकिन एक की मृत्यु हो गई, ऐसा वहां के जिलाधिकारी ने बताया है।

श्रीमन्, दूसरा पक्ष यह है कि भगदड़ शुरू हो जाने के बाद वहां जो न्यायालय था, उसे लोगों ने जला डाला और कई वाहनों को फूंक डाला। वहां 4-5 घंटे तक अराजकता का माहौल बना रहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक तरफ हो गई, सेना के अधिकारी एक तरफ हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि नौजवानों ने बिल्कुल खुले तौर पर उपद्रव किया और एनएच को भी रोक डाला। किसी ने उनको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। अगर दोनों का तालमेल बनाकर यह कार्य किया गया होता, तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।

श्रीमन्, मेरा कहना केवल इतना है कि सेना में युवकों का जाना आवश्यक है। इसके लिए लगातार भर्ती की प्रक्रिया होनी चाहिए और जिला स्तर पर अभियान चलाकर पूरे देश भर में नौजवानों की भर्ती के लिए योजना बननी चाहिए एवं उसके लिए केन्द्र खुलने चाहिए। यह क्रम लगातार होना चाहिए, प्रतिवर्ष होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के हादसे न हो सकें।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और जो मारे गए हैं, उनको निश्चित रूप से पांच लाख से दस लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए।